न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर संभाग, ग्वालियर म.प्र.

पुनरीक्षण याचिका क्र: R-3770-PBR/14

श्रवण तिथि:

1. हशमतउल्ला पिता हमीदउल्ला
2. बरकतउल्ला पिता हमीदउल्ला
3. इनायतउल्ला पिता हमीदउल्ला

सभी निवासी मोहल्ला खानकर, शहर तहसील व जिला बुरहानपुर म.प्र.

-- याचिकाकर्तागण

विरुद्ध

1. मोतीउल्ला पिता हमीदउल्ला
2. अजीजउल्ला पिता हमीदउल्ला
3. हिकमतउल्ला पिता अजीजउल्ला

सभी निवासी मोहल्ला खानकर, शहर तहसील व जिला बुरहानपुर म.प्र.

-- : प्रत्यर्थीगण

पुनरीक्षण-याचिका म.प्र.भू.राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत

यह कि याचिकाकर्तागण माननीय अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय खकनार जिला बुरहानपुर के समक्ष प्रचलित रा.प्र.क्रमांक-5-अ-56/2013-14 पर मोतीउल्ला पिता हमीदउल्ला विरुद्ध अजीजउल्ला पिता हमीदउल्ला व अन्य के प्रकरण में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 19.9.2014 से व्यथित व असंतुष्ट होकर यह पुनरीक्षण-याचिका श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं ।

// प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य //

1. यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय खकनार

निरं-2

न्यायालय तहसीलदार महोदय खकनार

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

निग0 3770–पीबीआर / 2014

जिला – बुरहानपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–12–2014	आवेदक की ओर से श्री जीतेन्द्र बुगीवाला एवं श्री टी0टी0 गुप्ता अभिभाषक उपस्थित नहीं। एक अन्य अभिभाषक श्री लोकेश दीक्षित द्वारा स्वयं को उक्त अभिभाषकों का जूनियर बताते हुये ग्राह्यता पर तर्क हेतु पुनः समय की मांग की गई, परन्तु समय लेने का कोई कारण नहीं बताया गया। याचिकाकर्ता अभिभाषक को विगत पेशी पर ग्राह्यता पर तर्क हेतु समय दिया गया था, परन्तु आज दिनांक को तर्क हेतु उपस्थित नहीं एवं न ही उनके द्वारा अनुपस्थिति का कोई आधार बताया है। इससे प्रकट होता है कि याचिकाकर्ता इस प्रकरण की सुनवाई हेतु गंभीर नहीं है। अतः अब तर्क हेतु समय नहीं देते हुये निगरानी मेमो एवं प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार प्रकरण के ग्राह्यता पर विचार किया जा रहा है। 2/ प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह प्रकट होता है कि अनावेदक द्वारा आवेदक के विरूद्ध धारा 250 के अन्तर्गत तहसीलदार के समक्ष प्रकरण पेश किया गया। तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 19–9–14 के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत आवेदक के प्रतिपरीक्षण हेतु दिये गये अंतिम अवसर को समाप्त करते हुये प्रकरण	

स्थान तथा । 18-11 19	साक्ष्य हेतु नियत किया गया है। निगरानी आवेदन में यह लिखा गया कि याचिकाकर्ता के अभिभाषक के अस्वस्थ होने के कारण वे तहसील न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके जिसके कारण उनका प्रतिपरीक्षण का अवसर समाप्त किया गया है। तहसीलदार ने अपने आदेश में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि आवेदक को प्रतिपरीक्षण हेतु प्रदाय अंतिम अवसर पर भी प्रतिपरीक्षण नहीं किये जाने के कारण उनका अवसर समाप्त किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को ग्राह्य किये जाने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप यह निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (डा0 मधु खरे) सदस्य	